



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 796] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 1993/पौष 9, 1915

No. 796] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 30, 1993/PAUSA 9, 1915

मन्त्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1993

क्र.सं. 1048(अ) —राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य प्रावधान) नियम, 1961 का तीसरा संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य प्रावधान) (दो सौ बाईसवां संशोधन) नियम, 1993 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में,—
- (क) “पर्यावरण तथा वन मंत्रालय” शीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 17 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:—
18. “राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिक विकास बोर्ड ।
19. मकस्यल और मकस्यलीकरण ।”;
- (ख) “मानव संसाधन विकास मंत्रालय” शीर्षक के अन्तर्गत “ग संस्कृति विभाग” उपशीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 43 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् ;—
- “43. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ।”;
- (ग) “अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय” शीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 7 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—
- “8. उजारीय ऊर्जा ।”;
- (घ) “जल भूतल परिवहन मंत्रालय” शीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 26 का लोप किया जाएगा ;
- (ङ) “जल संसाधन मंत्रालय” शीर्षक के नीचे,—
- “(i) प्रविष्टि 22 का लोप किया जाएगा;
- (ii) प्रविष्टि 23 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
- “23. फरक्का बैराज परियोजना नियंत्रण बोर्ड ।”;
- (iii) प्रविष्टि 32 का लोप किया जाएगा ।” ।

(संकर दयाल शर्मा)

राष्ट्रपति

[सं. 74/2/5/93-मंत्रि०]

संजीव मिश्रा, संयुक्त सचिव

## CABINET SECRETARIAT

## NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 1993

S.O. 1048(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and twenty second Amendment) Rules, 1993

(2. They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—

(a) under the heading “MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PARYAVARAN TATHA VAN MANTRALAYA)”, after entry 17, the following entries shall be added, namely :—

“18. National Afforestation and Eco-Development Board.

19. Desert and Desertification.”;

(b) under the heading “MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (MANAV SANSADHAN VIKAS MANTRALAYA)”, under sub-heading “C. DEPARTMENT OF CULTURE (SANSKRIT VIBHAG)”, for entry 43, the following entry shall be substituted—  
namely :—

“43. Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya.”;

(c) under the heading “MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (APARAMPARIK OORJA SROTA MANTRALAYA)

after entry 7, the following entry shall be added, namely :—

“8. Tidal Energy.”;

(d) under the heading “MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (JAL-BHOOTAL PARIVAHAN MANTRALAYA)”, entry 26 shall be omitted;

(c) under the heading “MINISTRY OF WATER RESOURCES (JAL SANSADHAN MANTRALAYA)”, —

“(i) entry 22 shall be omitted;

(ii) for entry 23, the following entry shall be substituted, namely :—

“23. Farakka Barrage Project Control Board.”;

(iii) entry 32 shall be omitted.”;

(SHANKER DAYAL SHARMA)  
PRESIDENT

---

[F.No. 74/2/5/93 Cab.]  
SANJIV MISRA, Jt. Secy